

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)			
Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	CECVZ/R/T/23/00214/2		Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :
Transferred From (से स्थानांतरित):		Chief Commissioner of Central Excise & Customs (Visakhapatnam Zone) on 11/09/2023 With Reference Number : CECVZ/R/T/23/00214	
Remarks(टिप्पणी) :		Pertains to Your Zone/Section	
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Electronically Transferred from Other Public Authority	Language of Request (अनुरोध की भाषा) :	English
Name (नाम) :	MANOJ BALKRISHNA PATIL	Gender (लिंग) :	Male
Address (पता) :	Bungalow Number 10, East Street Camp, Next to Lashkar Police Quarters, Pune 411001, Pin:411001		
State (राज्य) :	Maharashtra	Country (देश) :	India
Phone Number (फोन नंबर) :	+91-9823541101	Mobile Number (मोबाईल नंबर) :	+91-9823541101
Email-ID (ईमेल-आईडी) :	patilmanojpm12@gmail.com		
Status (स्थिति) (Rural/Urban) :	Urban	Education Status :	
Requester Letter Number(निवेदक पत्र संख्या) :	Details not provided	Letter Date :	Details not provided
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :	No	Citizenship Status (नागरिकता)	Indian
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	0 (Received by Central Board of Excise and Customs - Central Excise) (original recipient)	Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा	No(Normal)	Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :	F.A Cooper(CCO)

स्वतंत्रता से संबंधित है?) :

Information Sought (जानकारी मांगी):

I am an Indian citizen . I am one of the end user of services and buyer of goods amongst crores of Indians who are ultimately paying CENTRAL EXCISE DUTY(ON PETROL & DIESEL) GOODS AND SERVICE TAX /CUSTOMS DUTY (which is a milestone in the economics landscape of India)to the Union Government Of India. Every nations expenses like salaries of government servants , office equipments, instruments provided to govt. offices depend entirely on the nations taxpayers. The right to information is a fundamental right. In 1976, in the Raj Narain vs the State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court ruled that Right to information will be treated as a fundamental right under article 19 (1) of the Indian Constitution. THE RTI ACT 2005 is a big step towards making the citizens informed about the activities of the Government. Needless to say that doing proper use of the RTI Act 2005 by the people will speed up development and bring transparency in the administration. Therefore please provide me the following information under section 3 Of the RTI Act 2005 in respect of ALL THE ZONAL DGGI OFFICES/ DRI OFFICES /ALL NACIN ZTI OFFICES / ZONAL CHIEF COMMISSIONERS OFFICES OF CBIC LOCATED ALL OVER INDIA on my mailid patilmanojpm12@gmail.com which is required by me in the larger public interest. If the said information is not available with you my application may be forwarded to the respective CPIO under section6(3)Of RTI Act 2005 providing the information on my mailidpatilmanojpm12@gmail.com (A) NAME & PLACE OF THE DGGI/ DRI OFFICE (B) NAME & PLACE OF THE NACIN ZTI (C) NAME & PLACE OF THE CHIEF COMMISSIONERATE OF CENTAL EXCISE & CGST OR CUSTOMS WHICHEVER IS APPLICABLE (D) NAME & PLACE OF THE COMMISSIONERATE OF CENTAL EXCISE & CGST OR CUSTOMS (EXECUTIVE/AUDIT/APPEALS/) WHICHEVER IS APPLICABLE(E) NAME & PLACE OF THE DIVISION OF CENTAL EXCISE & CGST OR NAME & PLACE OF THE CIRCLE UNDER CGST/CUSTOMS AUDIT OR NAME & PLACE OF THE DIVISION / AIRPORT /ICD/CFS UNDER CUSTOMS WHICHEVER IS APPLICABLE (F) NAME AND PLACE OF THE RANGE UNDER DIVN OF CENTRAL EXCISE & CGST OR AUDIT PARTY UNDER CGST/CUSTOMS AUDIT OR /PORT/FIELD FORMATION UNDER CUSTOMS DIVISION WHICHEVER IS APPLICABLE (G) PLEASE PROVIDE ME A COPY OF HINDI TIMAAHEE REPORT (QUARTERLY REPORT) FOR THE QUARTERS ENDING MARCH & JUNE 2023 IN COMPLIANCE WITH SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT,1963 BY WHICH IT IS MADE COMPULSORY BY MINISTRY OF HOME AFFAIRS NEW DELHI . Please provide me the information for point (G) separately for offices mentioned at (A), (B), (C), (D) (E) & (F) on my mail id patilmanojpm12@gmail.com(HINDI TIMAAHEE REPORT (QUARTERLY REPORT) FOR THE QUARTERS ENDING MARCH & JUNE 2023 sent from

office (F) to office (E) , from office (E) to office (D) , from office (D) to office (C) & from office (C),(B) & (A) to CBIC NEW DELHI / MHA) on my mail id patilmanojpm12@gmail.com

**Original RTI Text
(मूल आरटीआई
पाठ):**

I am an Indian citizen . I am one of the end user of services and buyer of goods amongst crores of Indians who are ultimately paying CENTRAL EXCISE DUTY(ON PETROL & DIESEL) GOODS AND SERVICE TAX /CUSTOMS DUTY (which is a milestone in the economics landscape of India)to the Union Government Of India. Every nations expenses like salaries of government servants , office equipments, instruments provided to govt. offices depend entirely on the nations taxpayers. The right to information is a fundamental right. In 1976, in the Raj Narain vs the State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court ruled that Right to information will be treated as a fundamental right under article 19 (1) of the Indian Constitution. THE RTI ACT 2005 is a big step towards making the citizens informed about the activities of the Government. Needless to say that doing proper use of the RTI Act 2005 by the people will speed up development and bring transparency in the administration. Therefore please provide me the following information under section 3 Of the RTI Act 2005 in respect of ALL THE ZONAL DGGI OFFICES/ DRI OFFICES /ALL NACIN ZTI OFFICES / ZONAL CHIEF COMMISSIONERS OFFICES OF CBIC LOCATED ALL OVER INDIA on my mailid patilmanojpm12@gmail.com which is required by me in the larger public interest. If the said information is not available with you my application may be forwarded to the respective CPIO under section6(3)Of RTI Act 2005 providing the information on my mailidpatilmanojpm12@gmail.com (A) NAME & PLACE OF THE DGGI/ DRI OFFICE (B) NAME & PLACE OF THE NACIN ZTI (C) NAME & PLACE OF THE CHIEF COMMISSIONERATE OF CENTAL EXCISE & CGST OR CUSTOMS WHICHEVER IS APPLICABLE (D) NAME & PLACE OF THE COMMISSIONERATE OF CENTAL EXCISE & CGST OR CUSTOMS (EXECUTIVE/AUDIT/APPEALS/) WHICHEVER IS APPLICABLE(E) NAME & PLACE OF THE DIVISION OF CENTAL EXCISE & CGST OR NAME & PLACE OF THE CIRCLE UNDER CGST/CUSTOMS AUDIT OR NAME & PLACE OF THE DIVISION / AIRPORT /ICD/CFS UNDER CUSTOMS WHICHEVER IS APPLICABLE (F) NAME AND PLACE OF THE RANGE UNDER DIVN OF CENTRAL EXCISE & CGST OR AUDIT PARTY UNDER CGST/CUSTOMS AUDIT OR /PORT/FIELD FORMATION UNDER CUSTOMS DIVISION WHICHEVER IS APPLICABLE (G) PLEASE PROVIDE ME A COPY OF HINDI TIMAAHEE REPORT (QUARTERLY REPORT) FOR THE QUARTERS ENDING MARCH & JUNE 2023 IN COMPLIANCE WITH SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT,1963 BY WHICH IT IS MADE COMPULSORY BY MINISTRY OF HOME AFFAIRS NEW DELHI . Please provide me the information for point (G) separately for offices mentioned at (A), (B), (C), (D) (E) & (F) on my mail id patilmanojpm12@gmail.com(HINDI TIMAAHEE

REPORT (QUARTERLY REPORT) FOR THE
QUARTERS ENDING MARCH & JUNE 2023 sent from
office (F) to office (E) , from office (E) to office (D) , from
office (D) to office (C) & from office (C),(B) & (A) to
CBIC NEW DELHI / MHA) on my mail id
patilmanojpm12@gmail.com

[Print](#)[Save](#)[Close](#)

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों
आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

.....को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता _____

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड _____ फोन नं. _____ ई-मेल _____

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या _____
- (ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या _____
- (ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गए कागजात _____
- (घ) केवल हिंदी में जारी किये गए कागजात _____

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या _____
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए _____
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए _____
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे _____

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

5. फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा *

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या

*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए ।

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या अधिकारी कर्मचारी	
1	2	3

नोट : कार्यालय के समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है ।

7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

- (क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि
- (ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या
- (ग) तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या
- (घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ? हां/नहीं

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

--

10. उल्लिखित आँकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम -----

पदनाम -----

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर -----

फैक्स नम्बर -----

ई-मेल का पता _____

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड :

वित्तीय वर्ष :

“मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है । मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है । यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा । ”

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय का नाम.....

दूरभाष/फैक्स.....

ई-मेल का पता.....

तिथि :-

स्थान :-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी ।

भाग - II

इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भरा जाए)

1. (i)	क्या कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) (अर्थात् कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80% को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है ?	हां/नहीं
--------	---	----------

(ii) नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हों) की राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचना का विवरण: -

कुल कार्यालयों की संख्या	अधिसूचित कार्यालयों की संख्या
1	2

2(i) अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान

		अधिकारी		कर्मचारी		कुल संख्या
		1		2		3
(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या					
(ख)	उपर्युक्त (क) में से हिंदी का ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी	कार्यसाधक	प्रवीणता प्राप्त	कार्यसाधक	प्रवीणता प्राप्त	
(ग)	कितने कर्मों हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ले रहे हैं ?					
(घ)	हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष					

2(ii) हिंदी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान

		कुल संख्या	हिंदी में प्रशिक्षित कर्मिकों की संख्या	प्रशिक्षितों में से कितने हिंदी में काम करते हैं ।	प्रशिक्षण के लिए शेष
		1	2	3	4
(क)	आशुलिपिक				
(ख)	टंकक/लिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी				
(ग)	कर/पोस्टल सहायक आदि				

2(iii) अनुवाद का ज्ञान

		अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
(क)	कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं ।			
(ख)	उक्त (क) में से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त ।			
(ग)	कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है ।			

3. कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षण

कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में प्रशिक्षितों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों की संख्या
1	2	3

4. कंप्यूटर/लैपटाप से संबंधित विवरण

कम्प्यूटर/लैपटाप की कुल संख्या	हिंदी सक्षम (enabled) कम्प्यूटर/लैपटाप की संख्या
1	2

5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि

	कुल संख्या	द्विभाषी
	1	2
(क) अधिनियम/नियम/कार्यालयीन कोड/मैनुअल/प्रक्रिया साहित्य आदि		
(ख) मानकीकृत प्रपत्र		

6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु कितने कर्मियों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम (केवल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए)

प्रशिक्षण की अवधि (सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल अवधि)	प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में)		
	हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण	अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण	मिली जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण
1	2	3	4

8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा से संबंधित निरीक्षण

- (क) (i) अनुभागों की कुल संख्या _____
- (ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या _____
- (ख) (i) अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि (यदि कोई हो) की कुल संख्या _____
- (ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या _____

9. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन

कुल संख्या	हिंदी में	अंग्रेजी में
1	2	3

10. हिंदी पुस्तकों की खरीद (सीडी, डीवीडी, डाक्यूमेंट्री तथा ई-बुक सहित)

- (i) वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय
- (ii) हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय

11. उप सचिव/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य

अधिकारियों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कॉलम(2) में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते हैं	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8

12. हिंदी जानने वाले(प्रवीणता या कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त) उप सचिव/समकक्ष से नीचे के स्तर के कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य

कार्मिकों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले कार्मिकों की संख्या	कॉलम(2) में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते हैं	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8

13. हिंदी के पद

पदनाम	पदों की संख्या	
	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3

14. वेबसाइट (संगत स्थान पर ✓ चिन्हित करें)

वेबसाइट का पता	केवल अंग्रेजी में	आंशिक रूप से द्विभाषी	पूरी तरह से द्विभाषी
1	2	3	4

15. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण:-

(क) हिंदी दिवस/ सप्ताह/पखवाड़ा/माह(कब से कब तक)

(ख) हिंदी संगोष्ठी की तिथि और विषय

(ग) उपर्युक्त (क) के अलावा हिंदी में अन्य आयोजन की तिथि और विषय (यदि कोई हो)

16. उल्लिखित आँकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम -----

पदनाम -----

दूरभाष नम्बर -----

फैक्स नम्बर -----

ई-मेल का पता -----

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड :

वित्तीय वर्ष :

“मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है । मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है । यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा । ”

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय का नाम.....

दूरभाष/फैक्स.....

ई-मेल का पता.....

तिथि :-

स्थान :-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी ।

I/1417482/2023



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

सेवा में/To

Shri Manoj Balkrishna Patil,
Bungalow Number 10, East Street Camp,
Next to Lashkar Police Quarters,
Pune - 411001.
महोदय/ Sir

//आर.टी.आई. मामला/RTI MATTER//

//ईमेल के जरिये/Through email//

Sub: Information sought under RTI Act 2005– Application filed by
Shri ManojBalkrishna Patil - Regarding

Please refer to your online RTI application which was registered vide Reg. No.
CECVZ/R/T/23/00214/2 dated 11.09.2023.

2 . In this regard, point wise reply to your queries (pertaining to this office) is
furnished hereunder:

-Point (A), (B): Not Applicable

-Point (C): Office of the Chief Commissioner of Customs & Central Tax,
Visakhapatnam Zone, 1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam-530035.

-Point (D), (E) & (F): Not Applicable

-Point (G): The quarterly report on the compliance of section 3(3) of the Official
Language Act, 1963, either to DGPM or Board, are being sent directly by the
Commissionerates.

3. If you are not satisfied with this reply, you may file an appeal before the Appellate
Authority within 30 days of receipt of this letter. The details of the Appellate Authority
are furnished hereunder:

Shri M. Sreekanth, Additional Commissioner,
Office of the Chief Commissioner of Central Tax & Customs,
GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam-530035

Signed by Fredrick

Anthony Cooper

Date: 15-09-2023 14:40:10

Reason: Approved

(एफ.ए. कूपर /F.A. Cooper)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी /CPIO

0891-2560793/2853124